वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2022–2023)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 4004137
वेबसाईट : www.mperc.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	आयोग की संरचना ।	3
2.	कार्यकारी संक्षिप्त विवरण ।	4
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण ।	5 से 15
4.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु ।	16 से 17
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/परिवर्धन सम्मिलित ।	18 से 19
6	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की संख्या ।	20
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति ।	21
8.	राज्य परामर्शदात्री समिति की जानकारी ।	22 से 23

अध्याय – 1

आयोग की संरचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 (4) के अनुसार ''राज्य आयोग तीन सदस्यों से अनधिक से मिलकर बनेगा जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित है''। वित्तीय वर्ष 2022–23 (अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2023) की अवधि में आयोग में पदस्थ अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :–

(वित्तीय वर्ष 2022–23 की स्थिति में)

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्य भार ग्रहण तिथि	कार्यकाल	वर्तमान / सेवानिवृत्त
1.	श्री एस.पी.एस. परिहार	अध्यक्ष	15.07.2020	02.01.2025	वर्तमान
2.	श्री गोपाल श्रीवास्तव	सदस्य (विधि)	04.02.2022	06.01.2027	वर्तमान
3.	श्री प्रशांत कुमार चतुर्वेदी	सदस्य	25.1.2023	19.09.2025	वर्तमान
4.	श्री मुकुल धारीवाल	सदस्य	02.01.2018	01.01.2023	सेवानिवृत्त

अध्याय – 2

कार्यकारी संक्षिप्त विवरण

2.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया । तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा 3 जुलाई 2001 को विद्युत सुधार अधिनियम 2000 प्रभावी किया गया तथा नियामक आयोग को इस राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित माना गया । इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया, जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है, जिसके अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, को गठित एवं कार्यशील माना गया है ।

2.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, आयोग से प्रत्येक वर्ष में पूर्व वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है, जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । मध्य प्रदेश शासन द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट), नियम 2019'' जारी किए गए हैं ।

2.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022–23 से संबंधित है ।

अध्याय – 3

(अ) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित जारी किये गये टैरिफ आदेश

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता का नाम	विषय	आदेश दिनांक
1	याचिका क्रमांक 56 / 2021	एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों तथा अन्तर्वर्ती अधिप्राप्तिकर्ताओं (intermediatory procurers) के साथ निष्पादित किये गये विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) तथा विद्युत विक्रय अनुबन्ध (PSA) के अनुमोदन की प्राप्ति हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(ख) सहपठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 के उपबन्धों के अधीन याचिका की प्रस्तुति ।	29.04.2022
2	याचिका क्रमांक 58 / 2021	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड द्वारा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड द्वारा निर्मित / कार्यान्वित की जाने वाली पारेषण प्रणाली के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन पारेषण प्रभारों की स्वीकृति के बारे में आवेदन विषयक।	19.05.2022
3	याचिका क्रमांक 59 / 2021	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञा पत्र (Transmission Licence) जारी किये जाने बाबत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, 15 तथा 86 (1)(घ) सहपठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञा पत्र के आवेदन हेतु प्रक्रिया) विनियम, 2004 के अधीन याचिका की प्रस्तुति विषयक ।	04.05.2022
4	याचिका क्रमांक 60 / 2021	मेसर्स जेपीवीएल, निगरी	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 3.5..2021 के माध्यम से मेसर्स जेपीवीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु उनके 2X660 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 86 (1)(क) के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक।	20.4.2022

5	याचिका क्रमांक 63/2021	मेसर्स जेपीवीएल, बीना	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 30.04.2021 के माध्यम से मेसर्स जेपीवीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु उनके 2X250 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 86 (1)(क) के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक।	19.05.2022
6	याचिका क्रमांक 64/2021	मेसर्स लैंको अमरकंटक प्रायवेट लिमिटेड	मेसर्स लैंको अमरकंटक प्रायवेट लिमिटेड, कोरबा, छत्तीसगढ़ की 300 मेगावाट इकाई क्रमांक 1 से पीटीसी इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को दीर्घकालीन विद्युत आपूर्ति हेतु प्रयोज्य मप्रविनिआ टैरिफ विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64(5) सहपठित धारा 62 तथा धारा 86 (1)(क) तथा (ख) के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक।	13.05.2022
7	याचिका क्रमांक 66/2021	आरबी ग्रीन इनर्जी प्रा. लिमिटेड	कुसुम (KUSUM) योजना के घटक (अ) (Component-A) के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा क्षमता में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट में वृद्धि के फलस्वरूप सौर ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना में पूंजीगत लागत में वृद्धि तथा विधि में परिवर्तन (change of law) के कारण विद्युत–दर (टैरिफ) में पुनरीक्षण हेतु याचिका विषयक।	29.07.2022
8	याचिका क्रमांक 67/2021	एसवी सस्टेनेबल साल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटैड	कुसुम (KUSUM) योजना के घटक (अ) (Component-A) के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा क्षमता में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट में वृद्धि के फलस्वरूप सौर ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना में पूंजीगत लागत में वृद्धि तथा विधि में परिवर्तन (change of law) के कारण विद्युत–दर (टैरिफ) में पुनरीक्षण हेतु याचिका विषयक।	29.07.2022
9	याचिका क्रमांक 68/2021	अशुविभा पावर प्रायवेट लिमिटेड	कुसुम (KUSUM) योजना के घटक (अ) (Component-A) के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा क्षमता में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट में वृद्धि के फलस्वरूप सौर ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना में पूंजीगत लागत में वृद्धि तथा विधि में परिवर्तन (change of law) के कारण विद्युत–दर (टैरिफ) में पुनरीक्षण हेतु याचिका विषयक।	29.07.2022
10	याचिका क्रमांक 69/2021	करेरिया सोलर पावर प्रायवेट लिमिटेड	कुसुम (KUSUM) योजना के घटक (अ) (Component-A) के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा क्षमता में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट में वृद्धि के फलस्वरूप सौर ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना में पूंजीगत लागत में वृद्धि तथा विधि में परिवर्तन (change of law) के कारण विद्युत–दर (टैरिफ) में पुनरीक्षण हेतु याचिका विषयक।	29.07.2022

11	याचिका क्रमांक 70/2021	सीहोर पावर प्रायवेट लिमिटेड	कुसुम (KUSUM) योजना के घटक (अ) (Component-A) के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा क्षमता में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट में वृद्धि के फलस्वरूप सौर ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना में पूंजीगत लागत में वृद्धि तथा विधि में परिवर्तन (change of law) के कारण विद्युत–दर (टैरिफ) में पुनरीक्षण हेतु याचिका विषयक।	29.07.2022
12	याचिका क्रमांक 71/2021	फाइन वाईबस् सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड	कुसुम (KUSUM) योजना के घटक (अ) (Component-A) के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा क्षमता में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट में वृद्धि के फलस्वरूप सौर ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना में पूंजीगत लागत में वृद्धि तथा विधि में परिवर्तन (change of law) के कारण विद्युत–दर (टैरिफ) में पुनरीक्षण हेतु याचिका विषयक।	29.07.2022
13	याचिका क्रमांक 72/2021	मेसर्स एमबी पावर लिमिटेड	प्रतिवादी(एमपीएमसीएल) द्वारा याचिकाकर्ता को माह अप्रैल 2020 से मई 2020 की अवधि के दौरान क्षमता प्रभारों (capacity Charges)/स्थाई प्रभारों (Fixed Charges) का भुगतान न किये जाने के कारण उद्भूत विवादों के अधिनिर्णय हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(च) के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक।	26.07.2022
14	याचिका क्रमांक 01/2022	एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 45/2020 में बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 19 मई 2021 के अन्तर्गत एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अवधारित पारेषण (टैरिफ) के सत्यापन हेतु याचिका विषयक ।	16.08.2022
15	याचिका क्रमांक13/2017 (अनुवर्ती घटनाक्रम के फलस्वरूप प्रकरण को पुर्नविचार हेतु पुनः प्रारंम्भ किया गया)	मेसर्स बीएलए पावर लिमिटेड	मेसर्स बीएलए पावर इकाई क्रमांक–1 (45 मेगावाट) के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 हेतु अवधारित उत्पादन विद्युत दर (टैरिफ) के सत्यापन हेतु बावत् तथा वित्तीय वर्ष 16–17, 17–18 एवं 18–19 हेतु एमपीपीएमसीएल को 30% क्षमता के विक्रय हेतु बहुवर्षीय टैरिफ का निर्धारण।	01.08.2022
16	याचिका क्रमांक 07/2022	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (इकाई : बीना ताप विद्युत संयन्त्र)	ऋण की पुनर्संरचना के कारण ब्याज राशि में शुद्ध बचत के अनुसार प्रलाभों का संविभाजन प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(च), सहपठित मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2020 के विनियम 57.2 तथा मप्रविनिआ (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक।	14.07.2022

17	याचिका क्रमांक 09/2022	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (इकाई : बीना ताप विद्युत संयन्त्र)	आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 43, वर्ष 2020 के अन्तर्गत दिनांक 03.05.2021 को पारित टैरिफ आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी के मध्य ब्याज राशि की शुद्ध बचत के 50 : 50 के अनुपात में संविभाजन की घोषणा तथा आनुषंगिक राहत अनुज्ञेय करने बाबत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(च) सहपठित मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2020 के विनियम 57 के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक।	14.07.2022
18	याचिका क्रमांक 10/2022	राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) संशोधित।	मप्रविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2016 के विनियम 45 सहपठित मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड, एवं प्रभार) विनियम, 2010 में रिजर्व शट डाउन के अन्तर्गत यूनिटों का निर्धारण करने तथा ऊष्मा दर (Heat Rate), सहायक ऊर्जा खपत (Aux Energy consumption) तथा द्वितीयक ईंधन खपत (secondary fuel consumption) के अवक्रमण (degradation) की क्षतिपूर्ति हेतु क्रियाविधि के अन्तर्गत विस्तृत परिचालन प्रक्रिया से संशोधित है संबंधी याचिका विषयक।	30.03.2022
19	याचिका क्रमांक 11/2022	राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, (SLDC) जबलपुर द्वारा तथा प्रभारों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु याचिका विषयक।	12.05.2022
20	याचिका क्रमांक 13/2022	मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड	याचिका क्रमांक 47, वर्ष 2020 में बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 8 मई, 2021के तहत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बरेला–गोरखपुर जिला सिवनी (म.प्र.) स्थित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की 1X600 मेगावाट इकाई (चरण–I) हेतु अवधारित उत्पादन विद्युत–दर (टैरिफ) का वित्त वर्ष 2020–2021सत्यापन।	18.08.2022
21	याचिका क्रमांक 16/2022	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड द्वारा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	पारेषण सेवा अनुबन्ध (Transmission Service Agreement) दिनांक 05.02.2021 के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2023 से प्रथम वर्ष विद्युत– दर (टैरिफ) प्रारंभ करने बाबत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(क), 86 (1)(ख), 86 (1)(ट) सहपठित मप्रविनिआ (कारोबार का संचालन), विनियम 2004 के विनियम 46 (1)के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक।	22.07.2022
22	याचिका क्रमांक 18/2022	एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 तथा 86 (1)(ख) सहपठित मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबन्धी निबन्ध तथा शर्तें) विनियम, 2020 के विनियम 61.5 तथा विनियम 66 के अधीन दाखिल की गई याचिका जिसके अन्तर्गत उपरोक्त कथित विनियम, 2020 के विनियम 42.6 के अनुसार देय प्रोत्साहन के बारे में छूट चाही गई है।	13.07.2022

23	याचिका क्रमांक 19/2022	एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड,जबलपुर	गाडरवारा (म.प्र.) स्थित बीएलए विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई क्रमांक 1 तथा 2 से 30% विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध दिनांक 05.01.2011 में संशोधन की पूर्व स्वीकृति हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(ख) सहपठित मप्रविनिआ {विद्युत क्रय एवं अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 के विनियम 32, 54 तथा 55 के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक।	04.05.2022
24	याचिका क्रमांक 21/2022	मेसर्स एमबी पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 1 मई, 2021 द्वारा अनूपपुर (म.प्र.) स्थित कोयला आधारित 2X600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना हेतु अवधारित विद्युत उत्पादन टैरिफ के वित्तीय वर्ष 2020–2021 के तहत सत्यापन विषयक।	25.08.2022
25	याचिका क्रमांक 23/2022	एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	विद्युत क्रय अनुबन्ध दिनांक 05.01.2011 प्रारूप अनुपूरक अनुबंध के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(ख) सहपठित मप्रविनिआ {विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम 2004, प्रथम पुनरीक्षण 2006 {आरजी–19 (I), वर्ष 2006} के विनियम 32 के अधीन दाखिल याचिका विषयक।	08.08.2022
26	याचिका क्रमांक 25/2022	एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 64, वर्ष 2015 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 07.12.2021 के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 के अधीन दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका (review petition) विषयक। आदेश दिनांक 07.12.2021 को अपील क्रमांक 232, वर्ष 2016 में मा. APTELसे प्राप्त रिमांड के आधार पर पारित किया गया था।	14.07.2022
27	याचिका क्रमांक 26/2022	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (इकाई : जेपी बीना ताप विद्युत संयन्त्र)	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1)(ख) तथा 86 (1)(च) सहपठित मप्रविनिआ (कारोबार का संचालन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2016 की धारा 45 के अधीन दाखिल की गई याचिका जिसके अन्तर्गत एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को अनुपूरक अनुबन्ध निष्पादित करने के विरूद्ध उन्हें (एमपीपीएमसीएल) निर्देशित किया जाना चाहा गया है।	25.08.2022
28	याचिका क्रमांक 27/2022	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (इकाई : जेपी बीना ताप विद्युत संयन्त्र)	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(च) सहपठित विद्युत क्रय अनुबन्ध दिनांक 05.01.2011 के अनुच्छेद 4. 3.3 के अधीन याचिकाकर्ता तथा एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के संबंध में दाखिल की गई याचिका विषयक जिसके अन्तर्गत एमपीपीएमसीएल के विरूद्ध माह अप्रैल, 2020 से माह मई 2020 हेतु देय क्षमता प्रभार जारी किये जाने के साथ–साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुसार विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान किये जाने बाबत निर्देश प्रसारित किया जाना चाहा गया है।	09.09.2022

29	याचिका क्रमांक 28/2022	मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (इकाई : जेपी बीना ताप विद्युत संयन्त्र)	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(च) सहपठित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2019 के विनियम, 8.8.6 के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक जिसके अन्तर्गत विद्युत क्रय अनुबन्ध दिनांक 05.11.2011 के अनुपालन में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चालान (invoice) के विरूद्ध देय भुगतान जारी किया जाना चाहा गया है।	25.08.2022
30	याचिका क्रमांक 31/2022	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.10.2020 को जारी ग्रिड संयोजित पवन सौर मिश्रित परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक जिसके अन्तर्गत उपरोक्त उल्लेखित दिशा निर्देशों में विचलन चाहा गया है।	12.08.2022
31	याचिका क्रमांक 33/2022	राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)	मप्रविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2016 के विनियम 45 सहपठित मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड, एवं प्रभार) विनियम, 2010के तहत रिजर्व शट डाउन के अन्तर्गत यूनिटों का निर्धारण करने तथा ऊष्मा दर (Heat Rate), सहायक ऊर्जा खपत (Aux Energy consumption) तथा द्वितीयक ईंधन खपत (secondary fuel consumption) के अवक्रमण (degradation) की क्षतिपूर्ति हेतु क्रियाविधि के अन्तर्गत विस्तृत परिचालन प्रक्रिया के अनुसार संशोधित करने संबंधी याचिका विषयक।	12.10.2022
32	याचिका क्रमांक 34/2022	मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(ख), (ङ) तथा (छ) के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.12.2020 को प्रवर्तित प्रधान मंत्री कुसुम योजना के घटक(ग) (Component-C) संभरक सौरकरण के अन्तर्गत परियोजना की जीवनकाल के दौरान मासिक आधार पर संविदा प्रबन्धन तथा संधारण प्रभारों हेतु सफल बोलीकर्ता को प्रभारित करने के लिये मॉडल विद्युत क्रय अनुबन्ध अथवा विद्युत क्रय अनुबन्ध की समयावधि इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो, बाबत विचलन चाहा गया है।	15.06.2022
33	स्वप्रेरणायाचिका (SMP) क्रमांक 36/2022	मप्रविनिआ	मध्यप्रदेश राज्य में बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु विद्युत–दर का अवधारण विषयक।	13.09.2022
34	याचिका क्रमांक 37/2022	भोपाल नगरपालिक निगम	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 {आरजी–33(II),वर्ष 2021} के खण्ड 10.1 (दो) तथा (तीन) को संशोधित किये जाने विषयक याचिका जो ''अधिकोषित ऊर्जा के लेखांकन तथा अधिकोषित ऊर्जा की वापसी'' से संबंधित है।	14.07.2022

35	याचिका क्रमांक 41 / 2022	(i)एमपीपावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (ii) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी लि. (iii) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विवि कंपनी लि. (iv)मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विवि कंपनी लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(ज), 86(क), (ख) तथा (ङ) के साथ पठित धारा 181 तथा मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021 {आरजी–33 (II), वर्ष 2021} के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक जिसके अन्तर्गत उपयुक्त अधिकोषण क्रियाविधि (banking mechanism) प्रदान करने हेतु आवश्यक विनियामक छूट (regulatory dispensation) चाही गई है।	28.07.2022
36	याचिका क्रमांक 42 / 2022	एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	नवीनीकरणतथा आधुनिकीकरण के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशा–निर्देश वर्ष 2020 के विचलन पर विचार करते हुए बिरसिंहपुर स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र के अन्तर्गत 4X210 मेगावाट चरण–1 तथा 2 संयन्त्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण / जीवनकाल के व्यापक विस्तार हेतु बोलीकर्ताओं के चयन हेतु स्विस चैलेंज मोडक्रियाविधि को अपनाये जाने बाबत मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें), विनियम, 2021 के विनियम 67 तथा 68 के अधीन दिशा– निर्देशों की प्राप्ति हेतु याचिका विषयक।	16.08.2022
37	याचिका क्रमांक 43 / 2022	जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु जिला सिंगरौली में निगरी स्थित 2X660 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत उत्पादन टैरिफ के सत्यापन विषय के अन्तर्गत याचिका क्रमांक 60 वर्ष 2021 में आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2022 की समीक्षा हेतु मप्रविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2016 के विनियम 40 सहपठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक।	13.09.2022
38	याचिका क्रमांक 44 / 2022	मेसर्स एमबी पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 सहपठित मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2020 के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक जिसके अनुसार एमबी पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड द्वारा व्यय किये जाने वाले अतिरिक्त पूंजीगत व्यय हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु फ्लू–गैस विगंधकन (Desulp hurization) प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु चाहा गया है जिसे विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) दिनांक 05.01. 2011 तथा विनियम, 2020 के विनियम, 3.1*(II)* के अनुसार विधि में परिवर्तन (change of law) के रूप में निरूपित किया जा सकता है।	27.10.2022

39	याचिका क्रमांक 46 / 2022	एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड	विद्युत क्रय अनुबन्ध दिनांक 05.01.2011 हेतु प्रारूप अनुपूरक अनुबंध के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(ख) सहपठित मप्रविनिआ {विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम 2004, प्रथम पुनरीक्षण 2006 {आरजी–19 (I), वर्ष 2006} के विनियम 32 के अधीन दाखिल याचिका विषयक।	11.10.2022
40	याचिका क्रमांक 52 / 2022	मेसर्स बीएलए पावर प्रायवेट लिमिटेड	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) की तहसील गाडरवारा के ग्राम निवाड़ी स्थित कोयला आधारित विद्युत परियोजना की इकाई क्रमांक–1 (45 मेगावाट) हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन तथा वित्तीय वर्ष 2016–17, वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु बहुवर्षीय विद्युत–दर का अवधारण विषयक संबंधित याचिका।	14.12.2022
41	याचिका क्रमांक 53 / 2022	मेसर्स एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	याचिका क्रमांक 10, वर्ष 2021 के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.11.2021 की समीक्षा हेतु दाखिल की गई याचिका विषयक जिसे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 तथा 2 सहपठित माननीय मप्र उच्च न्यायालय के मप्र क्रमांक 564 / 2022 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.08. 2022 सहपठित मप्रविनिआ (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 के विनियम 40 के परिप्रेक्षय में पढ़ा जाए।	11.10.2022
42	याचिका क्रमांक 61 / 2022	मेसर्स एमबी पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अधीन दाखिल की गई याचिका जिसके अन्तर्गत एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड को 1200 मेगावाट (2X600 मेगावाट) अनूपपुर ताप विद्युत विद्युत परियोजना हेतु आंशिक भार परिचालन के कारण तकनीकी न्यूनतम क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु निर्देश जारी करने बाबत अनुरोध किया गया।	27.12.2022
43	याचिका क्रमांक 62 / 2022	(1) रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (2) एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.08.2017 को जारी आदेश के अनुसार ग्रिड संयोजित सौर प्रकाश वोल्टीय (PV) परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया हेतु दिशा–निर्देशों के दिशा–निर्देश क्रमांक 18 के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक जिसके अनुसार ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना (चरण–2) हेतु उपरोक्त उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत कतिपय विचलन चाहे गये हैं।	04.10.2022

44	याचिका क्रमांक 63 / 2022	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.08.2017 को जारी तथा समय–समय पर यथा संशोधित दिशा–निर्देश'Guidness for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power, from and Connected Solar PV Power Projects' के अनुसार प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावाट फ्लोटिंग सौर पीवी विद्युत परियोजना के चरण–1 (300 मेगावाट) विद्युत –दर को अपनाये जाने (adoption) हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका दाखिल की गई।	21.11.2022
45	याचिका क्रमांक 65 / 2022	एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	याचिका क्रमांक 72 वर्ष 2021 के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.07.2022 की समीक्षा हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 के अधीन दाखिल की गई याचिका जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 तथा 2 सहपठित मप्रविनिआ (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 के विनियम 40 के परिपेक्ष्य में पढ़ा जाए।	24.11.2022
46	याचिका क्रमांक 66 / 2022	एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 सहपठित शुद्धि पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 2021 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 19 मई, 2021 के माध्यम से एमपी पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के ताप तथा जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु उत्पादन की विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन याचिका विषयक।	30.12.2022
47	याचिका क्रमांक 69 / 2022	सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(ख), 86 (1)(ङ) तथा 181 सहपठित मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह उत्पादन तथा उत्पादन} विनियम, 2011 (पुनरीक्षण द्वितीय) के अधीन दाखिल की गई याचिका विषयक जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.02.2022 को जारी हरित हाइड्रोजन नीति से संरेखित बैंकिंग उपबन्धों को सम्मिलित किये जाने बाबत उपरोक्त अधिनियमों को संशोधित किये जाने बाबत आयोग द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहा गया है।	10.11.2022
48	याचिका क्रमांक 73 / 2022	राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC),एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड जबलपुर	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (AAR) का अवधारण, वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सत्यापन।	20.02.2023

49	याचिका क्रमांक 74 / 2022	(i) मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड (ii) एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (iii) पीटीसी इंडिया लिमिटेड	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित पथड़ी ग्राम में लैंकों अमरकंटक कोयलाआधारित ताप विद्युत संयन्त्र के 1X300 मेगावाट (इकाई क्रमांक–1) संयंत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20, वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मप्रविनिआ के उत्पादन टैरिफ विनियम, 2020 के अनुसार अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन का अवधारण विषयक।	03.03.2023
50	याचिका क्रमांक 75 / 2022	मेसर्स जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, नोयडा (उ. प्र.) (इकाई : जेपी बीना ताप विद्युत संयन्त्र)	जिला सागर (मप्र) के बीना स्थित कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के 2X250 मेगावाट (चरण–1) के वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2021 द्वारा अवधारित उत्पादन विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन विषयक।	02.03.2023
51	याचिका क्रमांक 76 / 2022	मेसर्स जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, नोयडा (उ. प्र.) (इकाई : जेपी बीना ताप विद्युत संयन्त्र)	जिला सिगरौली (मप्र) के निगरी स्थित कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के 2X660 मेगावाट संयन्त्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा बहुवर्षीय विद्युत–दर आदेश दिनांक 3 मई, 2021 के माध्यम से अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन विषयक ।	02.03.2023
52	याचिका क्रमांक 77 / 2022	एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 45 / 2020 में बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 19 मई, 2021 के अन्तर्गत एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अवधारित पारेषण टैरिफ के सत्यापन विषयक।	07.03.2023
53	याचिका क्रमांक 79 / 2022	मेसर्स बीएलए पावर लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2016–17, वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु जिला नरसिंहपुर (मप्र), तहसील गाडरवारा स्थित ग्राम ..निवाड़ी हेतु कोयलाआधारित परियोजना की इकाई क्रमांक2 (45 मेगावाट) के संयंन्त्र हेतु अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन विषयक।	03.03.2023
54	याचिका क्रमांक 85 / 2022	एमपी पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड जबलपुर	याचिका क्रमांक 53, वर्ष 2020 सहपठित शुद्धि पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 2021 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 19 मई, 2021 के माध्यम से एमपी पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के ताप तथा जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु उत्पादन की विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन विषयक।	31.03.2023

55	याचिका क्रमांक 87/2022	मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड	याचिका क्रमांक 47, वर्ष 2020 में बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 8 मई, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बरेला–गोरखपुर जिला सिवनी (म.प्र.) स्थित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की 1X600 मेगावाट इकाई (चरण–i) हेतु अवधारित उत्पादन विद्युत–दर (टैरिफ) का सत्यापन विषयक।	29.03.2023
56	याचिका क्रमांक 88/2022	मेसर्स एमबी पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 1 मई, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अनूपपुर (म.प्र.) स्थित कोयला आधारित 2X600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना हेतु अवधारित विद्युत उत्पादन टैरिफ के सत्यापन विषयक।	29.03.2023

(ब) खुदरा प्रदाय विद्युत टैरिफ तथा सत्यापन आदेश

क्रमांक	खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	याचिका क्रमांक 84/2022 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर (टैरिफ) आदेश।	28.03.2023
2	याचिका क्रमांक 83/2022 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर (टैरिफ) की सत्यापन याचिका संबंधित आदेश।	20.03.2023
3	याचिका क्रमांक 81/2022 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु एम.पी.आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश।	31.03.2023
4	याचिका क्रमांक 82/2022 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु एम.पी.आई.डी.सी., एस.ई.जेड, पीथमपुर के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर (टैरिफ) की सत्यापन याचिका संबंधित आदेश।	29.03.2023

अध्याय – 4

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये जारी विद्युत दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु

वर्ष 2023–24 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ आदेश आयोग द्वारा दिनांक 28.03.2023 को पारित किया गया । इस आदेश की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार थी :–

1. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू. 49,530 करोड़ सकल राजस्व की आवश्यकता प्रक्षेपित की गई एवं विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) पर राजस्व अन्तर की रू. 1537 करोड़ की राशि की भरपाई हेतु वर्तमान विद्युत दरों में 3.20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया।
2. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2021–22 की सत्यापन याचिका भी प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा राजस्व अंतर की राशि रू. 3276 करोड़ का दावा किया गया है। हालांकि, विवेकपूर्ण जॉच, उपरांत आयोग द्वारा मात्र रू. 1648 करोड़ के राजस्व अंतर को स्वीकृत किया गया।
3. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू. 48,993 करोड़ की सकल राजस्व आवश्यकता को स्वीकार किया है, जिसमें आदेश दिनांक तक निर्णीत सभी सत्यापन याचिकाएँ शामिल है। विद्यमान विद्युत–दर (टैरिफ) में राजस्व अन्तर के रूप में रू. 795 करोड़ को आयोग द्वारा मान्य किया गया । इस अन्तर की भरपाई हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) में मात्र 1.65 % की मामूली वृद्धि स्वीकार की गई ।
4. घरेलू उपभोक्ताओं (एल.वी.1) हेतु न्यूनतम शुल्क को समाप्त कर दिया गया ।
5. निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता (एल.वी.–2) तथा निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता (एल. वी.–4) के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।
6. उपभोक्ताओं को कोई भी मीटरिंग चार्जेस नहीं लगेंगे।
7. निम्न दाब तथा उच्च दाब उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की दर को कार्यशील पूँजी पर दी जाने वाली वार्षिक ब्याज दरों से जोड़ा गया ।
8. प्रदेश में मेट्रो रेल के संचालन की सुविधा हेतु पृथक दर श्रेणी–मेट्रो रेल (एच.वी.–9) बनाई गई है।
9. ई–व्हीकल/ई–रिक्शा चार्जिंग स्टेशन (एल.वी.6/एच.वी.8) की विद्युत दरों में से स्थायी प्रभार समाप्त कर दिये गये ।
10. ऊर्जा हेतु बैंकिंग की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु व्यस्ततम भार अवधि (पीक पीरियड) को (टाइम आफ डे) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया ।
11. आयोग द्वारा हरित ऊर्जा शुल्क (चार्जेस)/दर निम्नानुसार पृथक–पृथक अवधारित करते हुए इसके अधिरोपण की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई थी :–

(क) वे उपभोक्ता, जो कि अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर इस संबंध में प्रमाणीकरण चाहते हैं, हेतु हरित ऊर्जा शुल्क (चार्जेस) व इसके अधिरोपण की प्रक्रिया।

(ख) वे उपभोक्ता, जो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतो से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तथा सह उत्पादन) विनियम 2021 यथा संशोधित, के तारतम्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से हरित विद्युत ऊर्जा क्रय करना चाहते हैं, हेतु हरित विद्युत ऊर्जा शुल्क व इसके अधिरोपण की प्रक्रिया।

इस आदेश के अन्तर्गत उपलब्ध छूटें :–

12. घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये, उन्हें विद्युत देयक भुगतान ऑन लाईन किये जाने पर 0.5 प्रतिशत की छूट बिना किसी अधिकतम सीमा के उपलब्ध होगी।

13. नवीन तथा विद्यमान उच्च दाब/अति उच्च दाब संयोजनो, विद्यमान निम्नदाब औद्योगिक/गैर घरेलू श्रेणी से तत्सम्बंधित उच्च दाब श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ताओं, कैप्टिव पावर संयंत्र उपभोक्ताओं तथा खुली पहुँच उपभोक्ताओं को प्रयोज्य छूट/प्रोत्साहन दर टैरिफ आदेश में दर्शाये अनुसार उपलब्ध होगी।

14. पूर्व–भुगतान (प्रीपेड) मीटरिंग, अग्रिम देयक भुगतान, त्वरित देयक भुगतानों ,ऑन लाइन भुगतान, भार कारक (लोड फेक्टर), ऊर्जा कारक (पॉवर फेक्टर) तथा टाइम ऑफ डे पर छूट/प्रोत्साहन दर टैरिफ आदेश में दर्शाये अनुसार उपलब्ध होगी।

15. तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राह्य किया गया है ।

कम्पनी	**वर्ष 2022–23 के लिए ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर**	**वर्ष 2023–24 के लिए ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर**
पूर्व क्षेत्र	**15.75 %**	**15.50%**
पश्चिम क्षेत्र	**14.75 %**	**14.50%**
मध्य क्षेत्र	**16.75 %**	**16.50%**

अध्याय – 5

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/परिवर्धन सम्मिलित है।

स. क्रं.	विवरण	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचना दिनांक
1	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2022 {आरजी–31(II),वर्ष 2022}	1165/म.प्र.वि.नि.आ./2022	31.05.2022
2	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियॉ एवं संबंधित मामले) विनियम, 2022 {आरजी–39(I), वर्ष 2022}	1442/म.प्र.वि.नि.आ./2022	22.07.2022
3	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण निष्पादन मानदण्ड) (पुनरीक्षण– द्वितीय), विनियम, 2022 {क्रमांक आरजी–9(II),वर्ष 2022}	1609/मप्रविनिआ/2022	19.08.2022
4	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–33(II) (i), वर्ष 2023}	160/म.प्र.वि.नि.आ./2023	20.01.2023
5	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अर्न्तराज्यिक खुली पहुंच के लिए निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) (प्रथम–संशोधन) विनियम, 2021 (आरजी–24(I)(i), वर्ष 2023)	161/म.प्र.वि.नि.आ./2023	20.01.2023
6	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्ते) (पुनरीक्षण– चतुर्थ), विनियम, 2 020 में प्रथम संशोधन {क्रमांक आरजी–28(IV)(i),वर्ष 2023}	214/मप्रविनिआ/2020	27.01.2023
7	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्ते) (पुनरीक्षण– चतुर्थ), विनियम, 2020 में प्रथम संशोधन {क्रमांक आरजी–26(IV)(i),वर्ष 2023}	215/मप्रविनिआ/2023	27.01.2023
8	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की विद्युत–दर निर्धारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2017 में प्रथम संशोधन {एजी–43(i), वर्ष 2023}	220/म.प्र.वि.नि.आ./2023	27.01.2023
9	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्ते) (पुनरीक्षण– चतुर्थ), विनियम, 2020 में द्वितीय संशोधन {क्रमांक आरजी–26(IV)(ii),वर्ष 2023}	394/मप्रविनिआ/2023	24.02.2023

10	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत क्रय तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया) विनियम, पुनरीक्षण 2023 (आरजी–19 (II) वर्ष, 2023)	378 / मप्रविनिआ / 2023	25.02.2023
11	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023)	493 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2023	10.03.2023
12	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 में प्रथम संशोधन (एआरजी–35 (III) (i), वर्ष विनियम, 2023)	599 / मप्रविनिआ / 2023	17.03.2023
13	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 {जी–45, वर्ष 2023}	558 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2023	17.03.2023

अध्याय – 6

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की कुल संख्या

अनुज्ञापन एवं विनियम संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 21 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 24 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार कुल 45 याचिकाओं में से 42 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 03 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2023–24 में जारी रहेगी।

विनियम प्रवर्तन संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 12 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 7 याचिकाएं शेष थी, इस प्रकार कुल 19 याचिकाओं में से 16 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि शेष 03 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2023–24 में जारी रहेगी।

टैरिफ संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कुल 35 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 06 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार कुल 41 याचिकाओं में से 32 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 09 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2023–24 में जारी रहेगी।

अध्याय – 7

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति

विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (द), (ध) एवं (यत) सहपठित धारा 42 की उपधारा (5), (6) एवं (7) सहपठित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 तथा तथा इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, द्वारा, दिनांक 20 अगस्त, 2009 को अधिसूचित विनियमों को अतिष्ठित करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया है । जिसमें मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

फोरम का गठन

प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत अधिनियम की धारा 42 (5) के अंतर्गत फोरम का गठन करेगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु 'विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' नामोद्दिष्ट किया जाएगा। उपसंभाग, संभाग, वृत्त, क्षेत्र, कम्पनी स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, एक या एक से अधिक फोरम(ों) का गठन करेगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु 'विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' नामोदिष्ट किया जाएगा। यह फोरम उपभोक्ताओं की शिकायातों का निपटान सामान्यतः 30 दिवस की अवधि के भीतर करेंगे जो किसी भी दशा में 45 दिवस से अधिक न होगी। तद्नुसार तीनों वितरण कंपनियों द्वारा उनके मुख्यालयों एवं वृत्त स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन किया गया है। कंपनी स्तर की फोरम जबलपुर, भोपाल एवं इंदौर में कार्यशील है, जबकि वृत्त स्तरीय फोरम वृत्त मुख्यालय मे कार्यशील है।

विद्युत लोकपाल

आयोग समय–समय पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जैसा आयोग उचित समझे, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (7) में वर्णित कृत्यों का निर्वहन करने हेतु विद्युत लोकपाल के रूप में नियुक्त अन्यथा नामोद्दिष्ट कर सकेगा । उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता के अपनी शिकायत के आयोग के अंतर्गत भोपाल में कार्यशील है ।

अध्याय – 8

राज्य परामर्शदात्री समिति से संबंधित जानकारी ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत आयोग द्वारा एक राज्य सलाहकार समिति गठित किए जाने का प्रावधान है । इस राज्य सलाहकार समिति में निम्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार रहता हैः–

वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रमिक/मजदूर, उपभोक्तागण, गैर सरकारी / अशासकीय संगठन, शैक्षणिक और विद्युत क्षेत्रों के शोध संस्थाओं में से चयन उपरांत सदस्य मनोनीत कर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है । सलाहकार समिति की बैठक आयोग द्वारा आयोजित की जाती है । समिति में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य है । राज्य शासन के, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव, समिति के पदेन सदस्य हैं । राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है :–

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
1	श्री द्वारिका गुप्ता	अध्यक्ष, विंध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रिज, नियर सर्किट हाउस चौक, गली नंबर 3, राजेन्द्र नगर, सतना(म.प्र.)–485001	वाणिज्य
2	श्री महेन्द्र पी. खंते	उपाध्यक्ष, (ई एण्ड आई), वर्धमान फेब्रिक्स, ग्राम पिलिकरर, तालपुरा, रेहटी रोड, तह. बुदनी, जिला–सीहोर (म.प्र.)– 466445	उद्योग
3	श्री प्रहलाद सिंह	ग्राम नोनिया कलन, पोस्ट सिंगोड, तहसील पनागर, जिला–जबलपुर (म.प्र.)	कृषि
4	श्री दयाराम पाटीदार	उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम– बुदियाखेड़ी, पोस्ट–सिधाना, तहसील मनावर, जिला–धार (म.प्र.)–454446	कृषि
5	श्री के.के. तिवारी	मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, परदेशीपुरा, इंदौर (म.प्र.)–452011	श्रमिक/मजूदर
6	सुश्री स्मिता सक्सेना	अध्यक्ष, आशा स्मिता फाउण्डेशन, सी–99, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जिला – भोपाल (म.प्र.)– 462023	गैर शासकीय संगठन

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
7	श्रीमती अर्चना भटनागर	मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वूमन एण्ड इण्टरप्रेन्यूर, 433/2, नेपियर टाउन, हउबाग रेलवे स्टेशन रोड, नियर मंगनी हॉस्पिटल, जबलपुर (म.प्र.)–462008	गैर शासकीय संगठन
8	श्री बी.ए. सावले	डायरेक्टर, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविन्दुपरा, भोपाल (म.प्र.)– 462023	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
9	श्री विपिन कुमार जैन	म.प्र. लघु उद्योग संघ, ई–2/30, अरेरा कॉलोनी, महावीर नगर, भोपाल (म.प्र.)–462016	उद्योग
10	श्री सी.बी. मालपानी	सचिव , एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रिज, मण्डी दीप, रायसेन – 462046	उद्योग
11	श्री डी.एल. मीना	चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैनेजमेंट, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जबलपुर – 482001	परिवहन
12	श्री राकेश कुमार गौर	ग्राम कुल्हड़ा (डोलरिया), जिला–होशंगाबाद –461116	कृषि
13	श्री रवि गुप्ता	445, कोठवाली मिलोनीगंज, जबलपुर –482002	वाणिज्य
14	श्री एस.एन. गोयल	चेयरमेन एण्ड एम.डी., इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज (आई.ई.एक्स.) कॉरपोरेट ऑफिस : प्लॉट नंबर. – सी–001/ए/1, 9 वीं मंजिल मैक्स टावर्स, सेक्टर 16बी, नोएडा, (यूपी)–201301	वाणिज्य
15	डॉ. प्रवीण कुमार	प्रोफेसर, इंफोर्मेशन सिस्टम एरिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई.आई.एम.), प्रबंध शिखर, राऊ– पीथमपुर रोड़, इंदौर (म.प्र.)–453556	शैक्षणिक
16	श्री राहुल चौधरी	प्रिंसिपल एडवाईजर, (सेंटर फॉर इकोनॉमिक सेक्टर), अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एण्ड पॉलिसी एनालिसिस, सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल –462003	शैक्षणिक
17	प्रो. डॉ. गयूर आलम	सीनियर प्रोफेसर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, केरवा डेम रोड़, भोपाल – 462044	शैक्षणिक